30.09.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
उप.। पाट पारी आंशिक स्वीकार किया जाता
है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर
शामिल मिसल किया गया। पत्रावली विभाजन
प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुन: पेशी में ली जावे।
प्राथमिक डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2022/175

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः— 233/2022 | ता.दायराः— 23.08.2022

GCMS:- 2022/175

—: अनवान :—

नत्थूराम पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र अर्जनराम जाति नाई निवासी चक 5 एस.डी. जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पन्नाराम पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. लिछमण राम(फौत):—
   3/1. बोगी देवी पत्नी लिछमणराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/2. देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/3. गुड्डी पुत्री लिछमणराम पत्नी बनवारी जाति नाई निवासी ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/4. बिदाम पुत्री लिछमणराम पत्नी ईमीलाल जाति नाई निवासी ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/5. बिमला पुत्री लिछमणराम पत्नी महावीर जाति नाई निवासी ग्राम बीझंबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. सरोज पत्नी ईश्वरराम जाति नाई निवासी चक 2 पीपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा सूरतगढ़।
6. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

1. श्री संजय कुमार शर्मा, सोमप्रकाश शर्मा, अधि. वादी
2. श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 233/2022)

— :: निर्णय ::—

दिनांकः– 30.09.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी के संयुक्त खाता संख्या 93 में खसरा नम्बर 475 की 4.022 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 505 की 2.630 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 519 की 1.732 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 528 की 8.474 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 543 की 2.0610 हैक्टेयर कुल 18.919 हैक्टेयर भूमि में वादी के नाम से 3153/18919 हिस्सा, प्रतिवादी न. 1 के नाम से 3153/18919 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 3153/18919 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 6307/18919 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 3153/18919 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि अंकित हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपसी घरू बंटवारा कर रखा है। इसी बंटवारा अनुसार मौका पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। घरू बंटवारा अनुसार वादी नत्थूराम व प्रतिवादी सं 2 पन्नाराम के कब्जा काश्त की भूमि रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 475 की 3.481 हैक्टेयर(पश्चिमी पासा), खसरा नम्बर 528 की 2.825 हैक्टेयर(पश्चिमी पासा) कुल 6.306 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 3 लिछमणराम के वारिसान 3/1 ता 3/5 के कब्जा काश्त की भूमि रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 519 की 1.732 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 543 की 1.750 हैक्टेयर(दक्षिणी पासा), खसरा नम्बर 528 की 2.824 हैक्टेयर(पूर्वी पासा) कुल 6.306 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के कब्जा काश्त की भूमि रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 505 की 3.630 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 543 की 0.311 हैक्टेयर(उतरी पासा), खसरा नम्बर 475 की 0.541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 528 की 2.825 हैक्टेयर(मध्य भाग) कुल 6.307 हैक्टेयर भूमि पर चला आ रहा हैं। भूमि का खाता संयुक्त होने से भूमि सुधार व मालकाना रकम जमा करवाने तथा कृषि ऋण लेने, ट्यूबवैल लगाने व विधुत कनेक्शन लेने और सोलर उर्जा सिस्टम लगाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती हैं जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण में आपस में छोटी छोटी बातों में आपस में तनाव बना रहता हैं जिसका एकमात्र हल खाता विभाजन हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा पूर्व में एक वाद संख्या 56/99 अनवानी नत्थूराम बनाम लिछमणराम प्रस्तुत किया था जिसकी अंतिम डिक्री जारी नहीं हुई। वर्तमान में जमाबंदी अनुसार सहखातेदार बदल गये हैं। वादी द्वार प्रतिवादीगण को पूर्व में हुए विभाजन अनुसार खाता अलग करवाने के लिए कहा तो वो स्पष्ट इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा हैं। अतः निवेदन हैं कि वाद पत्र बाद सुनवाई डिक्री फरमाया जाकर अनुतोष क ता ग अनुसार प्रदान किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत आकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा शेष प्रतिवादी हाजिर न[illegible] उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाबदावा [illegible] किया कि प्रतिवादी न. 1 भी अपना खाता अल[illegible] मुताबिक कब्जा काश्त व रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर डिक्री पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्या:— 233 / 2022)

वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर वादी व प्रतिवादीगण के अपने अपने पक्ष के साक्ष्य करवाये जाने के बाद दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ही बहस की कि जैरवाद भूमि का खाता विभाजन वाद पत्र के अनुतोष क में वर्णित अनुसार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक की बहस हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 का खाता भी सहखातेदारो से अलग किया जावे जो तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर मौके के कब्जा काश्त व रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जावे।

दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन व चिन्तन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित हैं कि जैरवाद भूमि संयुक्त खाता की भूमि हैं। पत्रावली में घरू बंटवारा का कोई दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये खाता विभाजन के नियमों अनुसार ही खाता विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इसलिए वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम बछरारा प.ह. देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ की जमांबदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 93 नया, 79 पुराना में खसरा नम्बर 475/4.0220 बारानी दोयम, 505/2.6300 बारानी दोयम, 519/1.7320 बारानी दोयम, 528/8.4740 बारानी दोयम, 543/2.0610 बारानी दोयम कुल खाता 18.9190 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते आदि की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 30.09.2024 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

नत्थूराम पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र अर्जनराम जाति नाई निवासी चक 5 एस.डी. जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पन्नाराम पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. लिछमण राम(फौत):–
   3/1. बोगी देवी पत्नी लिछमणराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/2. देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति नाई निवासी ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/3. गुड्डी पुत्री लिछमणराम पत्नी बनवारी जाति नाई निवासी ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/4. बिदाम पुत्री लिछमणराम पत्नी ईमीलाल जाति नाई निवासी ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   3/5. बिमला पुत्री लिछमणराम पत्नी महावीर जाति नाई निवासी ग्राम बीझंबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. सरोज पत्नी ईश्वरराम जाति नाई निवासी चक 2 पीपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा सूरतगढ़।
6. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 233 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री संजय कुमार शर्मा व श्री सोमप्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री विनोद कुमार, एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम बछरारा प.ह. देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ की जमांबदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 93 नया, 79 पुराना में खसरा नम्बर 475/4.0220 बारानी दोयम, 505/2.6300 बारानी दोयम, 519/1.7320 बारानी दोयम, 528/8.4740 बारानी दोयम, 543/2.0610 बारानी दोयम कुल खाता 18.9190 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते आदि की सुविधा का ध्यान रखते हुए [illegible] अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× [illegible] नव सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज [illegible] तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व म[illegible] दिनांक 30.09.2024. को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)